न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

नगरपालिका प्रार्थनापत्र सं. 1/2003

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
देवेन्द्रकुमार पुत्र पुखराजजी, जाति कोठारी ओसवाल जैन, निवासी पूरा मौहल्ला,जालोर		1.नगरपालिका मण्डल जालोर जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका जालोर 2.श्रीमति देवकन्या पत्नि रमेशकुमारजी, त्रिवेदी,पूरा मौहल्ला, जालोर 3.श्रीमति कान्ताकुमारी पत्नि अश्विनीकुमार,जाति श्रीमाली, निवासी पूरा मौहल्ला ,जवाहररोड, जालोर

अन्तर्गत धारा 283 राज.नगररपालिका अधिनियम 1959

उपस्थितिः–
1.श्री सर्वत्र अख्तर,विद्वान अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.श्री नीखिल दवे,विद्वान अभिभाषक,अप्रार्थी सं. 2,3 की ओर से।
3.अप्रार्थी सं. 1 के वकील अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 23.12.2019

1. प्रार्थी के अनुसार प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी का एक पुश्तैनी बना बनाया मकान,जवाहर रोड,पूरा मौहल्ला, जालोर में अप्रार्थी सं.2 के मकान के पूर्वी दिशा की तरफ आया हुआ है जिसका दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ आया हुआ है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 का पट्टा सुद मकान पूरा मौहल्ला ,जवाहर रोड पर आया हुआ है और इसका पुराना पट्टा भी बना हुआ है जिसमें से अप्रार्थी सं.2 ने अप्रार्थी सं.3 को कुछ हिस्सा जरिये बैचान रजिस्ट्री किया है ,अप्रार्थी सं.2 व 3 का पुराना पट्टा के आधार पर यह नक्शा अप्रार्थी सं.3 के हक में बरवक्त बैचान रजिस्ट्री दुर्गाशंकर के द्वारा दिनांक 18.6.86को बैचान दस्तावेज के साथ संलग्न किया गया है। अप्रार्थी सं.2व 3 को मिलाते हुए दक्षिण भुजा व उतरी भुजा 53 फीट दर्शायी गयी है जबकि मौके पर नगरपालिका की मिलावट से आम

रोड पर नगरपालिका के रास्ते की जमीन पर जो सार्वजनिक रास्ता है और अप्रार्थी सं.3 के मकान के आगे दक्षिण से उत्तर की तरफ यानि खिन्नी बाव की तरफ जाता हैं जहां वाहनों के आने जाने व मोडने में बडी भारी दुविधा होती हैं क्योंकि इन दोनो अप्रार्थी ने अप्रार्थी सं.1 की मिलावट से आम रास्ते पर 53 फीट के बजाय काफी ज्यादा अवैधानिक निर्माण कर पक्का निर्माण दिवार रेज कर बना दिया है जो हाल ही का है और नगरपालिका ने दोनो अप्रार्थी को खालसा जमीन पर मैन मार्केट पर आम रोड पर बालकनी व चबुतरा व स्टेरकेच लगाने की ईजाजत दी है,अप्रार्थीया सं.2 को दक्षिण की तरफ बालकनी निकालने की ईजाजत बिल्डिंग बाईलॉज के विरूद्ध दी है जो काबिल गिराने के है और नगरपालिका ने अप्रार्थीया सं.3 को पश्चिम की तरफ बालकनी निकालने की ईजाजत दी है जो गैर कानूनी होने से गिराये जाने के योग्य है। प्राईमाफेशी यह साबित होता हैं कि अप्रार्थी सं.2 व 3 ने ईजाजत प्राप्त करने के लिए धारा 170(4)राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत् पट्टा सैटिंग नही किया है, यानि इन लोगों ने वेलिड नोटिस के अभाव में धारा 170(6) के तहत् स्टेट्रीयू प्रोविजन के खिलाफ ईजाजत जारी करने में अवैधानिकता बरती है क्योंकि थिंग स्पीज निडनोड बी प्रारू के सिद्धान्त पर एवं यह बखूबी साबित हैं कि अप्रार्थी सं.2 व 3 की दक्षिणी दिवार कुल मिलाकर 50 फीट ही हक मालिकाना है परन्तु मौके पर लैण्ड पर भी 53 फीट से काफी अधिक जमीन पर पक्का निर्माण हाल में किया गया है जिसको ध्वस्त करने के लिए व प्रार्थी के राईट ऑफ वे सडक पर प्रत्येक इंच पर होने से उसके राईट के अन्दर अप्रार्थी मदाखलात कर इन्क्रोसमेंट किया है, रास्ते की जमीन को किसी को बैचने का अधिकार नहीं है, प्रार्थी को इस एनक्रोसमेंट का सर्वप्रथम गांव से लौटने के बाद पता पडा कि नगरपालिका में लिखित रिपोर्ट उसे ध्वस्त कराने व कार्यवाही करने की दी परन्तु नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी ने फीता लगाकर अप्रार्थी के दक्षिणी दिवार आया 53 फीटहै या अधिक है, आज दिन तक पत्रावली पर पारित नहीं किया है इसलिए मजबूर होकर प्रार्थी को इस सुपरवाईजरी पावर्स के तहत् यह प्रार्थनापत्र पेश करना पडा है। अप्रार्थी सं.1–नगरपालिका ने लेजिशनेशन की मंशा का राज्य सरकार की मान्य बिल्डिंग बाईलोज का हनन कर अप्रार्थी नं.2 को दक्षिण की तरफ रोड पर प्रोजेक्शन (बालकनी) व 3 फीट चौडी निकालने की देने में आर्बोटररी रूख इकतियार करते हुए किंग –केंग डू नॉ रोंग रे, इकतियार करते हुए एब–इनिश्योवॉइड प्रोजेक्शन ईजाजत जारी की है जो काबिल सेटएसाईड व सुपरवाईजरी प्रोजेक्शन के तहत् अप्रार्थी सं.1 से एक्प्लेनेशन कॉल कर उस प्रोजेक्शन को गिराये जाने के निर्देश देने का अधिकार धारा 283के सुपरवाईजरी पॉवर्स के तहत् इस न्यायालय को है,इसी कदर अप्रार्थी सं.2 द्वारा आम रोड पर जो चबुतरी एवं

स्टेरकेच एवं नगरपालिका ड्रेनस को तोडा गया है उसके लिए अतिक्रमण हटाकर नगरपालिका ड्रेनस को पुनःरेस्टोर कराये जाने के निर्देश इस प्रार्थनापत्र के माध्यम से दिलाया जावे।अप्रार्थी सं.3ने पश्चिम की तरफ रास्ते की जमीन पर चबुतरी व बालकनी एवं दक्षिणी दिवार रास्ते पर एवं उतरी दिवार रास्ते पर जो निकाली है जो पट्टे से अधिक है उसे तत्काल गिराये जाने का निर्देश अधिशाषी अधिकारी ,नगरपालिका जालोर को दिया जावे,इस मामलें में अनदेखी की गयी है इस पर स्ट्रेक्चर पारित कर राज. सरकार जयपुर को डी.एल.बी. को इस आदेश की एक प्रति भेजकर अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका जालोर के विरूद्ध ऐक्शन लिये जाने का लिखा जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर एनवांरन्टेड एवं अनऑथराईड निर्माण को तत्काल डिमोलिश आदेश की अवधि के सात रोज भीतर गिराया जाकर कॉम्पलेंश रिपोर्ट अप्रार्थी सं.1 को इस इजलास में प्रस्तुत करने का निर्देश करावे। प्रार्थी ने इस प्रार्थनापत्र के साथ मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाने व फहरिस्त के साथ नकले पेश की, इस पर प्रार्थनापत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थी के कमिश्नर नियुक्त करने के प्रार्थनापत्र का जवाब अप्रार्थी सं.2 व 3 की ओर से दिनांक 13.9.06 को पेश किया कि अप्रार्थीया द्वारा किया गया निर्माण कार्य बिल्डिंग लाईन में ही एवं नगरपालिका से विधिवत् ईजाजत प्राप्त कर ,करवाया गया है, प्रार्थी द्वारा ईजाजत के विरूद्ध अपील पेश की जो अपील सं.1/03 खारिज की जा चुकी है,प्रार्थी द्वारा इसी सबंध में अप्रार्थीया सं. 3 के विरूद्ध एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का सिविल न्यायाधीश(क.ख.)जालोर के न्यायालय में पेश किया गया था उसके साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया था,उक्त दोनो प्रकरण कालान्तर में अपर सिविल न्यायाधीश (व.ख.) जालोर के न्यायालय में अंतरित किये गये ,जहां पर दीवानी मूल वाद सं. 77/04 व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सं.68/04 खारिज किया जा चुका था जिसके विरूद्ध अपील विचाराधीन है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में कमिश्नर द्वारा मौका देखा जा चुका है, माननीय न्यायालय साक्ष्य गठित करने के लिए मौका रिपोर्ट नही मंगवा सकता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज करावे। अप्रार्थी सं.3 की ओर से दिनांक 28.12.04 को इसी प्रकार जवाब पेश किया गया।

अप्रार्थी सं.3 के प्रार्थनापत्र का जवाब प्रार्थी की ओर से दिनांक 5.10.06 को पेश किया गया कि सिविल कोर्ट में जो भी वाद दायर किया जाता है वह अतिरिक्त जिला कलेक्टर के न्यायालय से जुदा मेरिट रखता है और उसको मौजूदा प्रकरण से जोडने का कोई औचित्य नहीं है। अप्रार्थीगण का कृत्य धारा 283 राज. नगरपालिका अधिनियम की परिधि में

आता है, अतः मौका कमिश्नर नियुक्त कर तस्दीक किया जा सकता है। अतः मौका कमिश्नर नियुक्त कर तथ्यों की जानकारी अदालत तक लाने की उचित कार्यवाही करावे।

बाद सुनवाई के इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 12.6.2007को मौका स्थिति रिपोर्ट मंगवाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्ति का आदेश दिया गया।

3. उक्त पत्रावली सं.1/2003 इस न्यायालय के पत्र कमांक/कोर्ट/07/1183 दिनांक 24.9.2007 से श्रीमान् अति. संभागीय आयुक्त महोदय,जोधपुर को निगरानी सं.19/2007,श्रीमति देवकन्या बनाम देवेन्द्रकुमार में भेजी गई। जहां उक्त पत्रावली स्वायत्त शासन विभाग ,राज. जयपुर को प्रकरण सं. एफ.53(364).निग./डीएलबी/11/1132,श्रीमति देवकन्या वगैराह बनाम देवेन्द्रकुमार ,वगैराह में भेजी जहां से दिनांक 16.8.2012 को निर्णय होकर पत्र कमांकःएफ.53(363,364).निग./डीएलबी/ 11/1417 दिनांक 7.11.19 से इस न्यायालय को दिनांक 18.11.2019 करे प्राप्त हुई। उक्त निर्णय में अंकित हैं कि "निगरानीकर्ता ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5.11.07 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है तथा मूल निगरानी विचाराधीन है।मान्य अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी मेन्टेनेबल नही है क्योंकि मूल निगरानी पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर व रिकार्ड का परिशीलन कर वाद का निर्णय पारित किया जावेगा। अतःप्रकरण के गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना उक्त निगरानी ग्राह्य योग्य (मेनटेनेबल) नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। "

4. रैकार्ड का अवलोकन किया गया । स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के अधिसूचना कमांकःप.8(क)() निग./डीएलबी/10/8226 दिनांक 31.3.2010 अनुसार तत्कालीन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम सं. 38 वर्ष 1959) की धारा 300 अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों की सुनवायी हेतु निदेशक एवं शासन उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को अधिकृत किया गया है, वर्तमान में इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है,अतः उक्त प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु प्रार्थी को लौटाया जाता है।पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय,आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.01.01 16:09:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: